



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 29, 2019/चैत्र 8, 1941

No. 221]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 29, 2019/CHAITRA 8, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2019

सा.का.नि. 248(अ).—केंद्रीय सरकार, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में जल स्कंध संवर्ग (समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' तकनीकी पदों) पर भर्ती नियम 2012, को जहां तक उनका संबंध सहायक सेनानी (वर्कशॉप), निरीक्षक (मास्टर), निरीक्षक (वर्कशॉप), निरीक्षक (इंजन ड्राइवर), उप निरीक्षक (मास्टर), उप निरीक्षक (वर्कशॉप), एवं उप निरीक्षक (इंजन ड्राइवर) के पदों से है, को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में जल स्कंध संवर्ग समूह 'क' और 'ख' तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, जल स्कंध संवर्ग (समूह 'क' और 'ख' तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा और अन्य अर्हताएं इत्यादि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. चिकित्सीय दृष्ट्या योग्यता.—इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल मैनुअल वाल्यूम III, चिकित्सा मैनुअल में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेष-I में है, प्रोन्नति और नियुक्ति जिसके अधीन इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन पर नियुक्ति भी है, के लिए पात्र होंगे।

7. भारत के गैर नागरिक की अपात्रता.—कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा।

परन्तु इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नेपाल या भूटान के नागरिकों की नियुक्ति या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी।

8. अधिवर्षिता.—(1) ऐसे अधिकारी जो संवर्ग में पद धारण किए हुए हैं, उस मास के जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होंगे।

परन्तु कोई अधिकारी जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होंगे।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के लिए विहित आयु के पश्चात् सेवा विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

9. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

10. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग, के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	पदों का वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक सेनानी (वर्कशॉप)	01* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 10 (56100-177500 ₹0)	चयन पद	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवेक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति द्वारा : भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे निरीक्षक (मास्टर, इंजन चालक और वर्कशॉप) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: पदोन्नति के लिए पात्रता सूची से संबंधित ग्रेड/पद में निर्दिष्ट योग्यता सेवा के अधिकारियों द्वारा पूर्ण होने के संदर्भ में तैयार की जाएगी जबकि संबंधित ग्रेड/पद में अंतर वरीयता रखने पर तैयार की जाएगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा:

केंद्रीय सरकार पुलिस संगठन, राज्य सरकार पुलिस संगठन या संघ राज्य क्षेत्र पुलिस संगठनों और तटरक्षक के ऐसे अधिकारी जिन्होंने:

(क) (i) वर्तमान संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है या

(ii) निरीक्षक के वेतन मैट्रिक्स स्तर 7 में 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो: और

(ख) मोटर परिवहन या जल स्कंध में कम से कम 6 वर्ष का अनुभव

टिप्पण 1.—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.—प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन:

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर जो कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के निरीक्षक के समकक्ष हो, में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो, एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जिन पर विचार किया गया है को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधों पर रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर सतावन वर्ष की आयु तक बने रहने दिया जा सकता है। पुनर्नियोजन पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं।
(1) अवर महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष;	
(2) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य;	
(3) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य;	
(4) निदेशक/उप सचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य।	
समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति, भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के पुष्टिकरण पर विचार करने हेतु निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	
(1) अतिरिक्त महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष;	
(2) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य;	
(3) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य;	
(4) निदेशक/उप सचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. निरीक्षक (मास्टर)	4* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	स्तर 7 (44900-142400 रु.)	चयन पद

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	भूतपूर्व सैनिकों का दो वर्ष पुनर्नियोजन	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा।

(11)
<p>प्रोन्नति द्वारा :</p> <p>भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे उप निरीक्षक (मास्टर) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर 6 के उस श्रेणी में 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो और यथाविहित पूर्व-प्रोन्नति पाठयक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा:</p> <p>केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभागों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है या अन्य केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य सरकार पुलिस संगठनों या संघ राज्य क्षेत्र के राज्यों के पुलिस संगठनों या तटरक्षक के ऐसे निरीक्षक (मास्टर) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में सदृश स्तर धारण किया हो व जिनके पास भारतीय विस्सल अधिनियम 1917 के अधीन वाणिज्य विभाग या इनलैंड जल परिवहन प्राधिकरण से जारी प्रथम श्रेणी मास्टर प्रमाणपत्र हो: या</p> <p>अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य सरकार पुलिस संगठनों या संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस संगठनों या तटरक्षक के ऐसे उप निरीक्षक (मास्टर) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में या समकक्ष या उस स्तर पर पांच वर्ष नियमित सेवा या जिनके पास भारतीय विस्सल अधिनियम 1917 के अधीन वाणिज्य विभाग या इनलैंड जल परिवहन प्राधिकरण से जारी प्रथम श्रेणी मास्टर प्रमाणपत्र हो।</p> <p>टिप्पण 1.— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3.— प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन:</p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर जो कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के उप निरीक्षक के समकक्ष हो में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधों पर रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>

(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(1) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष;</p> <p>(2) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य;</p> <p>(3) सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य।</p> <p>समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति, भूतपूर्व सैनिकों के प्रोन्नति और पुनर्नियोजन के स्थायीकरण पर विचार करने हेतु निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(1) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष;</p> <p>(2) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य;</p> <p>(3) सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य।</p>	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. निरीक्षक (वर्कशॉप)	1* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	स्तर 7 (44900-142400 ₹0)	चयन पद

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन	दो वर्ष प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा।

(11)
<p>प्रोन्नति द्वारा :</p> <p>भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे उप निरीक्षक (वर्कशॉप) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर 6 के उस श्रेणी में 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो और यथाविहित पूर्व-प्रोन्नति पाठयक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा:</p> <p>केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभागों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने:</p> <p>(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है या</p> <p>(ii) नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में पांच वर्ष की सेवा प्रदान की हो और निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखता हो:</p> <p>(iii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से डीजल इंजन या मेकेनिस्ट या वेल्डर या मेकेनिक शॉप या कारपेन्टरी या इलेक्ट्रीशियन या फिटर या टरनर में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र।</p>

टिप्पण 1.— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अधीन केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.— प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन:

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधों पर रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति पर विचार करने हेतु निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (1) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष; (2) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य; (3) सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य। समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति, भूतपूर्व सैनिकों के प्रोन्नति और पुनर्नियोजन स्थायीकरण पर विचार करने हेतु निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (1) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष; (2) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य; (3) सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य।	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. निरीक्षक (इंजन चालक)	4* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 7 (44900-142400 रू0)	चयन श्रेणी

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	केवल भूतपूर्व सैनिकों हेतु पुनर्नियोजन द्वारा दो वर्षों के लिए	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा।

(11)
प्रोन्नति द्वारा : भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे उप निरीक्षक (इंजन चालक) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा,

अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति द्वारा:

केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र विभागों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है या अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य सरकार पुलिस संगठनों या संघ राज्य क्षेत्र राज्यों के पुलिस संगठनों या तटरक्षक के ऐसे निरीक्षक (इंजन चालक) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में सदृश स्तर धारण किया हो

अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य सरकार पुलिस संगठनों या संघ राज्य क्षेत्र राज्यों के पुलिस संगठनों या तटरक्षक के ऐसे उप निरीक्षक (इंजन चालक) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में या समतुल्य पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या स्थापन से द्वितीय श्रेणी का इंजन चालक का प्रमाण पत्र रखता हो

टिप्पण 1.— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.— प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन:

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर जो कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के उप निरीक्षक के समकक्ष हो में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)	
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं।
(1) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— अध्यक्ष;
(2) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— सदस्य;
(3) सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— सदस्य।
समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति, भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के स्थायीकरण पर विचार करने हेतु निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	
(1) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— अध्यक्ष;
(2) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— सदस्य;
(3) सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— सदस्य।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. उप निरीक्षक (मास्टर)	8* (2019) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	स्तर 6 (35400-112400 ₹0)	चयन पद

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष प्रोन्नति हेतु और भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा

(11)

प्रोन्नति द्वारा :

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे हेड कांस्टेबल(मास्टर) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 के उस श्रेणी में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो और प्रथम श्रेणी मास्टर प्रमाणपत्र व यथाविहित पूर्व-प्रोन्नति पाठयक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति द्वारा:

क) केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र विभागों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है या अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केंद्रीय पुलिस संगठनों या राज्य सरकार पुलिस संगठनों या संघ राज्य क्षेत्र राज्यों के पुलिस संगठनों या तटरक्षक के ऐसे उप निरीक्षक (मास्टर) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में सदृश स्तर धारण किया हो या

ख) वेतन मैट्रिक्स स्तर 5 में 06 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो: और

ग) प्रथम श्रेणी में मास्टर प्रमाणपत्र हों :

टिप्पण 1.— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.— प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन:

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 में छः वर्ष की सेवा की हो, एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं।
(1) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— अध्यक्ष;
(2) सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— सदस्य;
(3) उप सेनानी/सहायक सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— सदस्य।
समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति, भूतपूर्व सैनिकों के प्रोन्नति और पुनर्नियोजन के स्थायीकरण पर विचार करने हेतु निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	
(1) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— अध्यक्ष;
(2) सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— सदस्य;
(3) उप सेनानी/सहायक सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— सदस्य।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. उप निरीक्षक (वर्कशॉप)	2* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	स्तर 6 (35400-112400 ₹0)	चयन पद

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष प्रोन्नति हेतु और भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा।

(11)
<p>प्रोन्नति द्वारा :</p> <p>भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे हेड कांस्टेबल(वर्कशाप) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर 4 के उस श्रेणी में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो और यथाविहित पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा:</p> <p>केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र विभागों के ऐसे अधिकारी</p> <p>क) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है या</p> <p>ख) वेतन मैट्रिक्स स्तर 5 में 06 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो: और</p> <p>ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से डीजल इंजन या मेकेनिस्ट या वेल्डर या मेकेनिक शॉप या कारपेन्टरी या इलेक्ट्रीशियन या फिटर या टरनर में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र और जल रक्षक की कार्यशाला में 06 वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1.— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3.— प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन:</p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 में छः वर्ष की सेवा की हो, एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>

(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(1) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष;</p> <p>(2) सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य;</p> <p>(3) उप सेनानी/सहायक सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य।</p> <p>समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति, भूतपूर्व सैनिकों के प्रोन्नति और पुनर्नियोजन के स्थायीकरण पर विचार करने हेतु निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(1) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष;</p> <p>(2) सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य;</p> <p>(3) उप सेनानी/सहायक सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य।</p>	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. उप निरीक्षक (इंजन चालक)	8* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	स्तर 6 (35400—112400 ₹0)	लागू नहीं

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष प्रोन्नति हेतु और भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा।

(11)
<p>प्रोन्नति द्वारा :</p> <p>भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे हेड कांस्टेबल(इंजन चालक) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर 4 के उस श्रेणी में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो और यथाविहित पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा:</p> <p>केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र विभागों के ऐसे अधिकारी</p> <p>क) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है या</p> <p>ख) वेतन मैट्रिक्स स्तर 5 में 06 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो: और</p> <p>ग) केंद्रीय या राज्य सरकार के इनलैंड जल परिवहन प्राधिकरण या वाणिज्य विभाग से इंजन चालक में प्रथम श्रेणी प्रमाणपत्र</p> <p>टिप्पण 1.— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3.— प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन:</p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 में छः वर्ष की सेवा की हो, एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं, विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	लागू नहीं।
(1) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— अध्यक्ष;
(2) सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— सदस्य;
(3) उप सेनानी/सहायक सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— सदस्य।

समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति, भूतपूर्व सैनिकों के प्रोन्नति और पुनर्नियोजन के स्थायीकरण पर विचार करने हेतु निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	
(1) उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	- अध्यक्ष;
(2) सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	- सदस्य;
(3) उप सेनानी/सहायक सेनानी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	- सदस्य।

[फा. सं. I-12012/15/2016-संग.]

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th March, 2019

G.S.R. 248(E).—In exercise of the powers conferred by clause(b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, Water Wing (Group 'A' Group 'B' and Group 'C' Technical Posts) Recruitment Rules, 2012, in so far as they relates to the posts of Assistant Commandant (Work Shop), Inspector (Master), Inspector (Work Shop), Inspector (Engine Driver), Sub-Inspector (Master), Sub-Inspector (Workshop) and Sub-Inspector (Engine Driver), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' and 'B' technical posts in the Water Wing Cadre in Indo-Tibetan Border Police Force, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Water Wing (Group 'A' and 'B' Technical Posts) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Medical Fitness.—Notwithstanding anything contained in these rules, those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Indo-Tibetan Border Police Force manual Volume-III, Medical manual shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

7. Ineligibility of non-citizens of India—No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

8. Superannuation.—(1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of month in which he or she attains the age of fifty seven years or as prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that the person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty-seven, as the case may be.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

9. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

10. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in the pay matrix	Selection post or Non - Selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Commandant (Work Shop)	1* (2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, (Non - Ministerial)	Level 10 (Rs. 56100 - 177500).	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation For ex-servicemen: Deputation/re-employment.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made

(11)

By Promotion:

From amongst Inspector(Master, Engine Driver and Workshop) of Indo-Tibetan Border Police Force in level 7 in the pay matrix with three years regular service in the grade and having successfully completed the specified pre-promotional training course.

Note 1.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2.— The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the specified qualifying service in the respective grade/ post, while maintaining the inter se seniority in the respective grade or post.

By deputation:

Officers of the Central Government Police Organisation, State Government Police organisation or Union territories Police organisation and Coast Guard,—

- (a) (i) Holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or
(ii) with three years regular service in the level 7 in the pay matrix of Inspector; and
(b) having minimum six years experience in Motor Transport or Water Wing.

Note 1.—The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment, in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3.— The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application.

Deputation/re-employment for ex-servicemen:

The Armed Force personnel holding analogous post on regular basis or officers with three years regular service in the level in the pay matrix equivalent to Inspector in Indo-Tibetan Border Police Force who are due to retire or who are to be transferred to reserve with in a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed above for deputation shall also be considered. Such persons if considered, it would be given deputation terms upto the date on which they are due to release from Armed Forces; thereafter he may be continued upto the age of fifty seven years on re-employment. The maximum age limit for eligibility for re-employment shall not be exceeding fifty-two years on the date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of :</p> <p>(1) Additional Director General, - Chairman; Indo-Tibetan Border Police Force</p> <p>(2) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(3) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(4) Director/Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member.</p> <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee for considering of promoted personnel and re-employment of ex-servicemen consisting of :</p> <p>(1) Additional Director General, - Chairman; Indo-Tibetan Border Police Force</p> <p>(2) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(3) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(4) Director/Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Inspector (Master).	4* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 7 (Rs.44900 - 142400).	Selection Post.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years for re-employment of ex-servicemen only.	By promotion failing which by deputation. For Ex-servicemen: Deputation / re-employment.

(11)

By promotion:

From amongst Sub-Inspectors (Master) of Indo-Tibetan Border Police Force in level 6 in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed the prescribed pre-promotional training/course.

Note.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

By deputation:

Officers of other Central or State Govt. or Union territories departments holding analogous post on regular basis or Inspector (Master) in analogous level in the pay matrix from other Central Armed Police Forces or Central Police Organisations or State Government Police Organisations or Union territories Police Organisations or Coast Guard possessing First Class Master Certificate issued by the Mercantile Marine Department or Inland Water Transport Corporation under Indian Vessels Act, 1917; or

Sub-Inspectors (Master) from other Central Armed Police Forces or Central Police Organisations or State Government Police Organisations or Union territories Police Organisations or Coast Guard in level 6 in the pay matrix or equivalent with five years regular service in the level and possessing First Class Master Certificate issued by the Mercantile Marine Department or Inland Water Transport Corporation under Indian Vessels Act, 1917.

Note 1.— The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or deputation of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application.

For Ex-servicemen Deputation/re-employment:

The Armed Forces personnel holding analogous post on regular basis or officers with five years regular service in the level in the pay matrix equivalent to Sub-Inspector in Indo-Tibetan Border Police Force who are due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and have the qualifications and experience as specified above for deputation shall also be considered, such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due to release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of :-</p> <p>(1) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;</p> <p>(2) Dy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(3) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.</p> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation of re-employment of ex-servicemen consisting of :-</p> <p>(1) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;</p> <p>(2) Dy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(3) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Inspector (WorkShop)	1* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 7 (Rs. 44900 - 142400).	Selection Post

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for re-employment of ex-servicemen only.	By promotion failing which by deputation. For ex-servicemen: Deputation/ re-employment.

(11)
<p>By promotion:</p> <p>From amongst Sub-Inspectors (Work Shop) of the Indo-Tibetan Border Police Force in level 6 in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed the prescribed pre-promotional training/course.</p> <p>Note.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>By deputation:</p> <p>Officers of Central or State Govt. or Union territories,-</p> <p>(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) With five years service rendered after appointment thereto on regular basis in level-6 of the pay matrix; and having following Educational qualification :</p> <p>(iii) Possessing a Diploma or Certificate in Diesel Engine or Machinist or Welder or Machine Shop or Carpentry or Electrician or Fitter or Turner from Industrial Training Institute or any other Institutes recognised by the Central of State Governments.</p> <p>Note 1.— The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible</p>

for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3.— The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-two years as on the last date of receipt of applications.

For ex-serviceman :

deputation / re-employment :

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications specified shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.

(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of:-</p> <p>(1) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;</p> <p>(2) Dy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(3) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.</p> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation of re-employment of ex-servicemen consisting of :-</p> <p>(1) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;</p> <p>(2) Dy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(3) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Inspector (Engine Driver).	4* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 7 (Rs.44900 - 142400).	Selection Post.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years for re-employment of ex-servicemen only.	By promotion failing which by deputation. For ex-servicemen: deputation/re-employment.

(11)

By promotion:

From amongst Sub-Inspectors (Engine Driver) of Indo-Tibetan Border Police Force in level 6 in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed prescribed pre-promotional training/course.

Note.—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

By deputation:

Officers of other Central or State Govt. or Union territories departments holding analogous post on regular basis or Inspector (Engine Driver) in analogous level in the pay matrix from other Central Armed Police Forces or Central Police Organisations or State Government Police Organisations or Union territories Police Organisations or Coast Guard; or

Sub-Inspectors (Engine Driver) from other Central Armed Police Forces or Central Police Organisations or State Government Police Organisations or Union territories Police Organisations or Coast Guard in level 6 in the pay matrix or equivalent with five years regular service in the level; and

Possessing 2nd Class Engine Driver Certificate from a recognised Institution or Establishment.

Note 1.— The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or deputation of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application.

For Ex-servicemen**Deputation/re-employment:**

The Armed Forces personnel holding analogous post on regular basis or officers with five years regular service in the level in the pay matrix equivalent to Sub-Inspector in Indo-Tibetan Border Police Force who are due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and have the qualifications and experience as prescribed above for deputation shall also be considered, such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due to release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee for promotion consisting of:-</p> <p>(1) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;</p> <p>(2) Dy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(3) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.</p> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation of re-employment of ex-servicemen consisting of :-</p> <p>(1) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;</p> <p>(2) Dy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(3) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Sub-Inspector (Master).	8* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 6 (Rs. 35400 - 112400).	Selection Post

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotion and re-employment of ex-servicemen	By promotion failing which by deputation. For Ex-servicemen: Deputation/re-employment.

(11)
<p>By promotion :</p> <p>From amongst Head Constable (Master) of Indo-Tibetan Border Police Force in level 4 in the pay matrix with ten years regular service in the grade, possessing first class master certificate and having successfully completed prescribed pre-promotional training/course.</p> <p>Note.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>By deputation :</p> <p>(i) Officers of other Central or State Govt. or Union territories Departments in analogous post or Sub-Inspector (Master) in analogous level in the pay matrix from other Central Armed Police Forces or Central Police Organisations or State Government Police Organisations or Union territories Police Organisations or Coast Guard; or</p> <p>(ii) With six years regular service in level 5 in the pay matrix ; and</p> <p>(iii) Possessing First Class Master Certificate.</p> <p>Note 1.— The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or deputation of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>For ex-servicemen deputation/re-employment:</p> <p>The Armed Forces personnel holding analogous post on regular basis or officers with six years regular service in level 5 in the pay matrix who are due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and have the qualifications as prescribed above for deputation shall also be considered, such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due to release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee for promotion consisting of:-</p> <p>(1) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;</p> <p>(2) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(3) Deputy Commandant/Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.</p> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation of promotion & re-employment of ex-servicemen consisting of :-</p> <p>(1) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;</p> <p>(2) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(3) Deputy Commandant/Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Sub-Inspector (Workshop)	2* (2019) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, (Non- Ministerial)	Level 6 (Rs.35400 - 112400)	Selection post

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotion and re-employment of ex-servicemen	By promotion failing which by deputation. For ex-servicemen: deputation/re-employment.

(11)
<p>By promotion :</p> <p>From amongst Head Constable (Workshop) of Indo-Tibetan Border Police Force in level 4 in the pay matrix with ten years regular service in the grade and having successfully completed specified pre-promotional training or course.</p> <p>Note.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>By deputation :</p> <p>Officers of other Central or State Government or Union territories Government,-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis; or</p> <p>(ii) With six years regular service in level 5 in the pay matrix; and</p> <p>(iii) Possessing a Diploma or Certificate in Diesel Engine or Machinist or Welder or Machine Shop or Carpentry or Electrician or Fitter or Turner from Industrial Training Institute or any other</p>

<p>Institutes recognised by the Central or State Governments and having six years experience in Work Shop of Water Wing.</p> <p>Note 1.— The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or deputation of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>For ex-servicemen deputation/re-employment:</p> <p>The Armed Forces personnel holding analogous post on regular basis or officers with six years regular service in level 5 in the pay matrix who are due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and have the qualifications and experience as prescribed above for deputation shall also be considered, such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due to release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee for promotion consisting of:-</p> <p>(1) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;</p> <p>(2) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(3) Deputy Commandant/Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.</p> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation of promotion & re-employment of ex-servicemen consisting of :-</p> <p>(1) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;</p> <p>(2) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(3) Deputy Commandant/Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. Sub-Inspector (Engine Driver).	8* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 6 (35400 - 112400).	Selection post.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotion and re-employment of ex-servicemen.	By promotion failing which by deputation. For ex-servicemen: deputation/re-employment.

(11)
<p>By promotion :</p> <p>From amongst Head Constable (Engine Driver) of Indo-Tibetan Border Police Force in level 4 in the pay matrix with ten years regular service in the grade and having successfully completed specified pre-promotional training/course.</p> <p>Note.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>By deputation :</p> <p>Officers of Central or State Government or Union territories Government.-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis; or</p> <p>(ii) with six years regular service in level 5 in the pay matrix; and</p> <p>(iii) possessing first class Engine Driver Certificate issued by Central or State Inland Water Transport Authority or Mercantile Marine Department.</p> <p>Note 1.— The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or deputation of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3.— The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>For ex-servicemen deputation/re-employment:</p> <p>The Armed Forces personnel holding analogous post on regular basis or officers with six years regular service in level 5 in the pay matrix who are due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and have the qualifications and experience as prescribed above for deputation shall also be considered, such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due to release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee for promotion consisting of:-</p> <p>(1) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;</p> <p>(2) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(3) Deputy Commandant/Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.</p> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation of promotion and re-employment of ex-servicemen consisting of :-</p> <p>(1) Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;</p> <p>(2) Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(3) Deputy Commandant/Assistant Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.</p>	Not applicable.

[F. No. I. 12012/15/2016-Org]

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.